रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



Inter Sazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii). PART II---Section 3---Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2006/माघ 11, 1927 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2006/MAGHA 11, 1927

सं. 101] No. 101]

> पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

> > (पी एण्ड एम अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2006

का.आ. 116(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

ਮ੍ਰਾਬਂਤ	भूखंड कि. मी. में
(2)	(3)
कोयना एक्सप्रेस मार्ग	0.00 कि. मी. से
का प्रारंभ	7.16 कि.मी.
	कोयना एक्सप्रेस मार्ग

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

(PAND M SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2006

S.O. 116(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the table annexed hereto (hereinafter referred to as the said table), of the corresponding section as mentioned against in column (2) of the said table, of the National Highway as described in column (1) of the said table, to the National Highways Authority of India.

	TABLE	
National Highway No.	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
117	Beginning of Kona Expressway	Km. 0.00 to Km. 7.16

[F. No. NH-14012/9/2004-P & M]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.